

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
राजस्व वाद 243 / 2018(2018 / 00421)

1. भैरूलाल पुत्र बरदाराम जाट निवासी ग्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादी

- बनाम
1. धन्नी पत्नि बद्री जाट निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
2. कालू पुत्र बद्री जाट निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
3. रेखा पुत्री बद्री जाट निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
4. तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

5. लादी पुत्र तेजू जाट निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

—प्रतिवादीगण

—प्रफोर्मा

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

वादी वकील :- श्री कमलेश कासोटिया, श्री हेमेन्द्र सिंह
पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 05/01/23

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसमें ग्राम केकडी तहसील केकडी की जमाबंदी संवत् 2076 से स्थाई के खाता संख्या 1252-759 के खसरा नम्बर 2675, 7243, 7244, 7245 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 0.02.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	भैरू लाल पुत्र बरदा जाति जाट सा. ग्रान्हेडा खातेदार	2675 / 1	0.1350	बा.उ.
		7243 / 1	0.1700	बा.उ.
		7244 / 1	0.1600	बा.उ.
		7245 / 1	0.1500	बा.उ.
		किता 4	रकबा 0.6150 हैक्ट	
2	धन्नी पत्नि बद्रीलाल, कालू, रेखा पि. बद्रीलाल हि. 1/2, जीतराम, दिनेश कुमार, धर्मेन्द्र, सरिता पि. सुखलाल हि. 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार	2675 / 1	0.1350	बा.उ.
		7243 / 1	0.1700	बा.उ.
		7244 / 1	0.1600	बा.उ.
		7245 / 1	0.1500	बा.उ.
		किता 4	रकबा 1.2350 हैक्ट	

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी व प्रतिवादीगण का अलग-अलग रंग से हिस्सा चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी भैरूलाल मौके पर उपस्थित रहे। वादी के अधिवक्त द्वारा बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसका नोट पत्रावली में अंकित किया गया। वकील पक्षकारान को सुना गया।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	भैरू लाल पुत्र बरदा जाति जाट सा. प्रान्हेडा खातेदार	2675/1	0.1350	बा.उ.
		7243/1	0.1700	बा.उ.
		7244/1	0.1600	बा.उ.
		7245/1	0.1500	बा.उ.
		किता 4	रकबा 0.6150 हैक्ट	
2	धन्नी पत्नि बद्रीलाल, कालू रेखा पि. बद्रीलाल हि. 1/2, जीतराम, दिनेश कुमार, धर्मेन्द्र, सरिता पि. सुखलाल हि. 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार	2675/1	0.1350	बा.उ.
		7243/1	0.1700	बा.उ.
		7244/1	0.1600	बा.उ.
		7245/1	0.1500	बा.उ.
		किता 4	रकबा 1.2350 हैक्ट	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (केकडीमेर)

